राजस्थान विधान सभा सचिवालय

-:: आज्ञा ::-

संख्या: 190/संस्था/विस/2020 जयपुर, दिनांक 24 मार्च, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(1)चिस्पा/ग्रुप-2/2020 दिनांक 22.03.2020 एवं गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2019 दिनांक 22.03.2020 जिसके द्वारा राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1957 की धारा (2) के अन्तर्गत समस्त प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक पूर्णतः बन्द (Lock Down) घोषित किया गया है। इस सचिवालय की आज्ञा संख्या 183 दिनांक 23.03.2020 के अतिलघंन में, पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र व राज्य सभा द्वि-वार्षिक निर्वाचन स्थगित होने के कारण विधान सभा सचिवालय में भी दिनांक 31.03.2020 तक लॉक डाऊन (Lock Down) किया जाता है। इस क्रम में उसकी क्रियान्विति हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
2. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग यथा: सुरक्षा, स्टोर कीपर (प्रत्येक स्टोर में एक कार्मिक अथवा आवश्यकतानुसार न्यूनतम कार्मिक) केयर टेकर, सहायक सचिव (सुरक्षा), इस इस सचिवालय में वेतन बिल एवं अन्य बिल पास करने हेतु न्यूनतम कार्मिकों सहित वित्तीय सलाहकार, आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय, अन्य विभागों के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिविल, विद्युत, उद्यान व पीएचईडी के कार्मिक कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे।
3. उपरोक्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुभाग के अधिकारी अनुभाग में यथासम्भव न्यूनतम कार्मिकों को आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की हैं, वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी, मार्शल यह सुनिश्चित करेंगे कि विधान सभा परिसर की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और वर्तमान परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की अपरिहार्यता के दृष्टिगत वस्तुस्थिति की निरन्तर समीक्षा करते हुए अन्य दिवसों में उनके अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की तैनाती संख्या आवश्यकतानुसार रखी जाए।

यह निर्देश दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

24/3/20

(प्रमिल कुमार माथुर)
सचिव

Scanned with CamScanner

(2)

संख्याः एफ.8(1)संस्था/विस/2005-2020/ 2488-2787 जयपुर, दिनांक 24 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
10. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/आशुलिपिक, वरिष्ठ उप सचिव/समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. सम्पादक (वाद-विवाद/मुद्रण)/मार्शल/मुख्य अन्वेषण एवं सन्दर्भ अधिकारी/पुस्तकालयाधिकारी एवं सहायक मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. राजस्थान विधान सभा सचिवालय के समस्त सहायक सचिव/शाखाधिकारियों को अधीनस्थ स्टाफ के प्रसारणार्थ।
13. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
14. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर (समस्त अनुभागों के वितरणार्थ 50 प्रतियों सहित)
15. जन सम्पर्क प्रकोष्ठ, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
16. उप कोषाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
17. सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान विधान सभा परिसर, जयपुर।
18. कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
19. मैनेजर, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, मिल्क बार/उपहार गृह, जयपुर।
20. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान विधान सभा शाखा, जयपुर।
21. चिकित्सा अधिकारी, एलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
22. प्रभारी, रोडवेज/रेलवे आरक्षण काउन्टर/डाक घर, राजस्थान विधान सभा परिसर, जयपुर।
23. डेशबोर्ड/इन्ट्रानेट (10.130.10.6), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
24. संबंधित पंजिका।

24/03/2020

(डॉ. राहुल पारीक)
सहायक सचिव (संस्थापन)

Scanned with CamScanner